उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 01 चैत्र, शक संवत्, 1927
(दिनांक : 22 मार्च, 2005)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी **"क"**)।

2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी **"ख"**)।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

3. सभापति, आश्वासन समिति उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2004-2005), का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

4. सभापति, आश्वासन समिति, उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2004-2005), का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

   (1) उत्तरांचल विनियोग विधेयक, (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का पहला अधिनियम बन गया।

   (2) उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का दूसरा अधिनियम बन गया।

...2/...

(3) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(4) उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का चौथा अधिनियम बन गया।

(5) उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का पांचवा अधिनियम बन गया।

(6) उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबंध) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का छठा अधिनियम बन गया।

(7) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का सातवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का आठवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का नवां अधिनियम बन गया।

(10) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का दसवां अधिनियम बन गया।

...3/...

(11) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(12) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(13) उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 फरवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

7. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के ग्राम नौगांव को पर्यटन ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में" श्री अमीन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल के ग्राम पंचायत भद्यूनी के तोक मोरा में दो वर्षाती नालों पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री चतुर सिंह जीना एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद नैनीताल के क्षेत्र पंचायत भीमताल में ज्योलीकोट व खुर्पाताल में प्लास्टिक हाउस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्रीन हाउस प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में" श्री किशन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग दुगड्डा द्वारा निर्माणाधीन माण्डलू-ग्वील मोटर मार्ग के सुधारीकरण, चौड़ीकरण एवं अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री मथुरा प्रसाद एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत पर्यटक विभाग नरेन्द्रनगर के अधीन स्थान बूढ़ाकेदार में पर्यटक विश्राम गृह निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री किशन सिंह तोमर एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

...4/...

12. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान चुना महेड़ा और जुडारोडियाल के मध्य मालन नदी पर झूला पुल बनाने के सम्बन्ध में" श्री घमण्ड सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट ग्राम पंचायत कनौल के राजकीय जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री गौर सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

15. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

16. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

17. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

18. वित्तीय वर्ष, 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

19. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय।"

20. श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गो के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।"

21. नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 22 मार्च, 2005

(महेश चन्द्र)
सचिव।

द्वितीय सत्र, 2005
का प्रथम मंगलवार

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 01 चैत्र, शक संवत्, 1927
(दिनांक : 22 मार्च, 2005)

नत्थी ''क''

अल्पसूचित प्रश्न

श्री मदन कौशिक 10-03-2005	**1. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुल कितने फलोद्यान लाभ एवं कितने घाटे में चल रहे हैं? क्या सरकार घाटे में चल रहे फलोद्यानों को उबारने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री हरबंस कपूर 28-02-2005	*1.	क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए कितने रेन सैल्टर या स्टैण्ड स्थापित किये गये हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या मानक निर्धारित किये गये हैं?	नगर विकास

अतारांकित प्रश्न

श्री किशोर उपाध्याय 26-02-2005	1.	क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी में आवारा कुत्तों द्वारा अनेक लोगों को काटा गया है? यदि हाँ, तो सरकार इसकी रोक-थाम हेतु क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 26-02-2005	2.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मल्ला-बेलक घुत्तू-त्रिजुगीनारायण-गौरीकुण्ड तक से मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है? क्या इस मार्ग के निर्मित हो जाने के कारण चारों धाम यात्रा मोटर मार्ग की दूरी 100 कि.मी. कम हो जायेगी? यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कब तक करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 28-02-2005	3.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के पोखरी तहसील से हरिशंकर होते हुए चौण्डी, रौता, कनकचोरी मोटर मार्ग के निर्माण पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री हरबंस कपूर 28-02-2005	4.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताएगें कि आई.आर.क्यू.पी. योजना के अन्तर्गत राज्य में सड़क निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है? यदि हाँ, तो चालू वित्तीय वर्ष में जनपद देहरादून की सड़कों हेतु उक्त योजना में कोई धनराशि नियत की गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण

श्री नारायण राम आर्य 28–02–2005	**5.** क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट–पव्वाधार–नागधूणा–चौरपाल मोटर मार्ग डामरीकरण एवं शेष मार्ग धराड़ी–नागधूणा–चौरपाल सुकरियापानी के निर्माण के आदेश मुख्यमंत्री के पत्रांक– 1611/मु0मं0का0/आवास, दिनांक 01–12–2004 द्वारा दिये हैं? यदि हाँ तो क्या तत्संबंधी आदेश जारी हो गये हैं और कब तक डामरीकरण एवं मार्ग के शेष भाग का निर्माण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**लोक निर्माण**
श्री बिशन सिंह चुफाल 01–03–2005	**6.** क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 8000 से 10,000 फीट की ऊँचाई पर पाये जाने वाले चटौर नामक वृक्ष के बीज का तेल खाने व आयुर्वेदिक दवाईयों के काम आता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इन वृक्षों की पैदावार बढ़ाये जाने हेतु योजना बनाई जा रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**